# उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

## आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेष दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

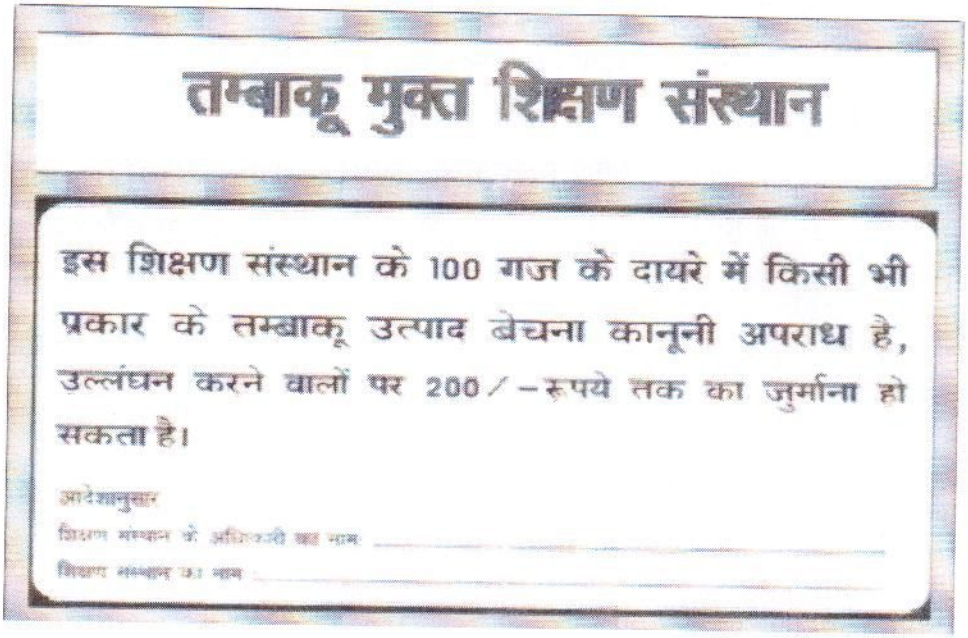


जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं **100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिष्चित करें**। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उददेश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के

माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 352/गो0, / धनबाद, दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण,कार्यकम धनबाद/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार International Union Against Tuberculosis & Lungs Disease (The Union), New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14

उपायुक्त, धनबाद।

# उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

## आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :–

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

सo/-

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 356/गो0 / धनबाद, दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, धनबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, धनबाद/ सिविल सर्जन, धनबाद/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद/सभी सी0डी0पी0ओ0, धनबाद/ श्रम अधीक्षक, धनबाद / पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/02/14

उपायुक्त, धनबाद।